

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-.....मई, 2011
संख्या -3/एम०-102/2007...../ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2010" में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं:-

संशोधन

उक्त नियमावली में-

1. नियम-6 के उपनियम(2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु महाधिवक्ता के कार्यालय में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति का गठन महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।"

2. नियम-6 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

"परन्तु महाधिवक्ता के कार्यालय में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति का गठन महाधिवक्ता द्वारा किया जायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - 3/एम० -102/2007...../

पटना 15, दिनांक.....मई, 2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - 3/एम० -102/2007.....¹³⁶¹...../

पटना 15, दिनांक.....⁴.....मई, 2011


प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखागार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी आई०डब्लू०डी०एम०एस०, टी.सी.एस. कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-..... 4 मई, 2011
संख्या -3/एम०-102/2007..... 1362 / अधिसूचना संख्या..... 1361 दिनांक 4-5-11 का
निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान
के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna 15, dt.. 04.. May, 2011


No. 3/M-102/2007..... 1361 / In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Gervernor of Bihar is pleased to make following amendments in the "Bihar Group 'D' (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2010 with immediate effect:-

AMENDMENTS

In the said Rules –

1. The following proviso shall be added to subrule (2) of rule 6 :-
"Provided that for the purpose of preparation of panel for recruitment in the office of the Advocate General, the Selection Committee shall be constituted by the Advocate General."
2. The following proviso shall be added to subrule(3) of rule 6:-
"Provided that for the purpose of preparation of panel for recruitment in the office of the Advocate General, the Selection Committee shall be constituted by the Advocate General."


By the order of the Governor of Bihar


(Atul Kumar Sinha)
Additional Secretary to Government

ज्ञापांक - 3/एम० -102/2007.....1362 /

पटना 15, दिनांक.....04.....मई, 2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।